AD
1
28/06/2022

संख्या– 856 /VII-A-1/22–07(04)2019

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

1836
28/06/22

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 28 जून, 2022

विषयः भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के वर्ष 2018–19 के प्रतिवेदन के सन्दर्भ में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किये जा रहे उपखनिजों के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी के बीजकों से रायल्टी की कटौती के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून के अ0शास0प0सं0 126/रिपोर्ट/सी–129/2018–19/बैच–05, दिनांक 28.02.2020 के द्वारा भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2018–19 के प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तर T(RS-9: Revenue loss of Rs. 237.10 Crore के अनुसार Government suffered a revenue loss of Rs. 237.10 crore due to non-realisation of five time royalty from the contractors in the absence of from MM-11 के सम्बन्ध में उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्तर में निम्नवत उल्लिखित किया गया हैः–

"During (May 2018 to August 2018) scrutiny of records pertaining to period 2017-18 of the nine District Mining Offices, it was found that none of the contractors submitted e-form MM-11 to the construction agencies against minor minerals used by them in the construction work. The construction agencies deducted one time royalting to Rs. 47.42 Crore (as detailed in Appendix) on the quantity of minor minerals from the bills of the contractors and deposited it into the treasury. However, in the absence of from MM-11, an amount equal to five times of the royalty on the quantity of illegally conveyed minerals was to be levied on the contractors. On this being pointed out, the Department, while accepting the audit observation, intimated that action would be taken for the recovery of an amount equal to five times of the royalty. In the absence of any mechanism between the department to ensure that the tax defaulters are identified and penalized as per the standing rules/regulation, the Government suffered a revenue loss of Rs. 237.10 crore"

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की 23C(1) के अनुसार "कोई भी व्यक्ति, खनन, पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा पत्र धारक का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके खनन किये जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा न उसको ले जायेगा अथवा न परिवहन करवायेगा और न ले जाने का कार्य करवायेगा" तथा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 13(2)(ख) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से अर्थदण्ड की धनराशि रू0 2,00,000 तक एवं खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य रॉयल्टी का 5 गुना तक आंगणित कर वसूली की जायेगी।

3. उक्तानुसार सरकारी विभागों एवं सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में बिना अभिवहन पास प्रपत्र एम0एम0–11 तथा फॉर्म–"जे" के खनिजों की प्राप्ति/उपयोग, सम्बन्धित विभागों के द्वारा सीधे अपने स्तर से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं तथा आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा आपूर्ति किये गये खनिजों के सम्बन्ध में प्रस्तुत बीजकों के सापेक्ष की जा रही रायल्टी की कटौती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाये जाने तथा निर्माणदायी संस्थाओं के द्वारा बिना अभिवहन पास प्रपत्र एम0एम0–11 तथा फॉर्म–"जे" के पूर्व में स्वीकार की गयी उपखनिजों की आपूर्ति तथा उक्त के सापेक्ष सम्बन्धित विभागों के द्वारा सीधे अपने स्तर से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं तथा आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा आपूर्ति किये गये खनिजों के सम्बन्ध में प्रस्तुत बीजकों के सापेक्ष की गयी रायल्टी की कटौती खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की 23C(1) एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 14(2)(3) के प्रतिकूल है।

4. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना सं0 1561/VII-1/80–ख/2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 के बिन्दु सं0 23(2) के अन्तर्गत "सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि सडक, पंहुच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अन्तर्गत नियम–72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाना प्राविधानित है।" प्रश्नगत नियमावली के बिन्दु सं0 23 (6) के अन्तर्गत "राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ) बी0आर0ओ0, आई0टी0बी0पी0 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य हेतु रिक्त राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में चुगान पट्टा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–1 में आवेदन शुल्क सहित आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर पर्यावरणीय अनुमति हेतु चुगान पट्टा का आशय पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जायगा तथा पर्यावरणीय अनुमति के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा परियोजना की समाप्ति तक अथवा 05 वर्ष की अवधि जो भी कम हो, चुगान पट्टा की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि वह चुगान लॉटों से निकले उपखनिजों का व्यवसायिक उपयोग न करना प्राविधानित है।"

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की 23C(1) एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन का भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 13(2)(ख) में किये गये प्राविधानों के दृष्टिगत सरकारी विभागों एवं सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो में बिना अभिवहन पास प्रपत्र–11 तथा फार्म–"जे" के खनिजों की प्राप्ति/उपयोग, सम्बन्धित विभागों के द्वारा सीधे अपने स्तर से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं तथा आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा आपूर्ति किये गये खनिजों के सम्बन्ध में प्रस्तुत बीजकों के सापेक्ष की जा रही रॉयल्टी की कटौती पर अपने–अपने नियंत्रणाधीन विभागों/कार्यदायी संस्थाओं में <u>तत्काल</u> प्रभाव से रोक लगाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

Letter

संख्याः 856/VII-A-1/2022–07(04)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव